

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)
 (पीठारीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 केमप स्थल - उचनारसुई)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 273/25 वापर दिनांक 20/02/2025 निर्णय दिनांक 21/02/2025
 रिपोर्ट



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाहिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना वज्रौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			कायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>उचनारसुई</u>	<u>164</u>	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	तहसीलदार कपासन की अनुशाषा स्वीकार की जाकर राज.भू.सं.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उचनारसुई</u> - प.ह. <u>उचनारसुई</u> खातासं. <u>164</u> में वर्तमान प्रविष्ट वज्रौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वज्रौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक		
			हस्ताक्षर <u>प्र.ह. उचनारसुई</u>	हस्ताक्षर मिस्टर <u>प्र.ह. उचनारसुई</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	

प्रतिनिधि पालनाथ:-
 1. पटवारी पटवार मण्डल उचनारसुई यो भोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करके कपासन जिला- चितौडगढ

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन
 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन